न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी:— हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा नं0:—106/2022 दायर दिनांक 06.06.2022

जीसीएमएस आई0डी0:—2022/277

1. नरेश } पिसरान
2. समन्दर } श्यामा
3. महेन्द्र }
4. प्रेम पत्नि स्व0 श्यामा
5. जयलाल पुत्र लोहडी
6. कमला पुत्री लोहडी

} जाति माली निवासी शेरपुर तहसील सुरौठ जिला करौली

——सायलान—06

बनाम

1. सोनसिंह पुत्र रजन उम्र 60 साल जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील सूरौठ जिला करौली
2. निहाल सिंह पुत्र भजनसिंह जाति जाट निवासी शेरपुर तहसील सूरौठ जिला करौली राज0।

——गैरसायलान—02

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति:—1. श्री अशोक नीमनका वकील सायलान
2. श्री राधेश्याम शर्मा गैरसायलान

निर्णय दिनांक:— २-५-२०२५

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा जरिये वकील प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि आराजी खसरा न0 469 रकबा 24 ऐयर स्थित ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ जिला करौली में स्थित है। जिसमें सायलान 4/15 हिस्से के, गैरसायल स0 1 7/30 हिस्से का, गैरसायल स0 2 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। जिससे गैरसायल स0 1 का कोई संबंध किसी प्रकार का नहीं है।

सायलान एवं गैरसायलान ने आराजीयात का बाहमी बंटवारा किया हुआ है। जिसमें सायलान अपने 1/... हिस्से पर काबिज एवम दखील है, लेकिन गैरसायल स0 1 सायलान के हिस्से पर जबरन कब्जा करने की फिराक में है। जिसके चलते गैरसायल स0 1 गैरसायलान स0 2 के साथ ...कर आये दिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:06:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी ...

डोल मेंड को लेकर सायलान के साथ झगडा फिसाद करने को आमदा रहता है। बाका दिनांक 21.05.2022 को सायलान ने गैरसायलान स0 2 से विवाद के चलने के आशय से आराजी का विधिवत बंटवारा कराने बाबत कहा, तो गैरसायलान ने आराजी का बंटवारा कराने से साफ इंकार कर दिया एवं गैरसायलान स0 1 ने सायलान के हिस्से पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी है। इसलिये दावा व संबंधित प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान वादीगण को अपने हिस्से की आराजी खसरा न0 469 रकबा 24 ऐयर स्थित ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ में जबरन कब्जा नहीं करे। तथा सायल के साथ झगडा फिसाद नहीं करे। सायलान के कब्जा उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। कब्जा कर रहनव्यय नहीं करे। तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करे। जिससे सायलान के हक हकूकों पर प्रतिकुल प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

गैरसायलान को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायलान की ओर से श्री राधेश्याम शर्मा अधिवक्ता ने वकालतानामा पेश किया। गैरसायलान ओर से जबाब पेश किया जो निम्नानुसार हैः–

1. यह कि प्रार्थना पत्र का मंद नं. 1 में उक्त उनवानी दावा पेश होना स्वीकार है, लेकिन सायलान को सफलता मिलने की लेशमात्र भी उम्मीद नहीं है।
2. प्रार्थना पत्र के मद नं. 2 में सायलान व गैरसायलान का मुताबिक राजस्व रिकार्ड दर्ज होना स्वीकार है लेकिन सायलान का यह कथन कि गैरसायल सं. 1 का उक्त भूमि से कोई सम्बंध व वास्ता नहीं है, गलत है, अस्वीकार है, बल्कि सायलान का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध वास्ता नहीं हैं।
3. प्रार्थना पत्र का मद नं. 3 जिस प्रकार तहरीर है. गलत है. अस्वीकार है। सायलान उक्त भूमि में 4/15 हिस्से पर काबिज नहीं है, गैरसायलान का ही उक्त भूमि पर कब्जा है, सायलान का उक्त भूमि पर कोई कब्जा ही नहीं है तो उन्हें बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सायलान का उक्त भूमि से कोई सम्बंध वास्ता ही नहीं है तो गैरसायलान का बंटवारा करने के लिये कहने का प्रश्न ही पैदानहीं होता। [illegible] ने उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के अधार पर पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:06:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

4. प्रार्थना पत्र का मद नं. 4 जिस प्रकार तहरीर किया गया है, गलत है, अस्वीकार है। सायलान का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध वास्ता ही नहीं है तो अपूर्तनीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता बल्कि गैरसायलान को पाबन्द करने से गैरसायलान को क्षति होने की पूरी–पूरी संभावना है, इस प्रकार सायलान का उक्त प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज होने योगय है।
5. प्रार्थना पत्र का मद नं. 5 जिस प्रकार तहरीर है, गलत है, अस्वीकार है। प्राईमाफेसाई केश, सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति सायलान के पक्ष में नहीं होकर गैरसायलान के पक्ष बखूबी साबित है।

आराजी खसरा नं. 469 रकबा 24 ऐयर वाके तन ग्राम हाडौली के पूर्व खातेदारान ने गैरसायलान को अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिया तथा अन्य खातेदारान ने गैरसायलान के हक में रजिस्ट्री करवा दी तथा गैरसायलान का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया लेकिन सायलान का पिता श्यामा गैरसायल सं. 1 के पक्ष में इकरारनामा लिखने के पश्चात् फौत हो गया तथा रजिस्ट्री नहीं हो सकी तथा सायलान के मन में अब बदयान्ति आ गई है, इसलिए गैरसायलान के हक में रजिस्ट्री नहीं करवा रहे हैं। गैरसायल सं. 1 सोहनसिंह ने सायलान के पक्ष में दावा बाबत् तकमील मुहायदा वउनवानी सोहनसिंह बनाम प्रेम कर रखा है जो न्यायालय ए.सी.जे.एण्ड.जे.एम. साहब सं. 1 हिण्डौन सिटी में विचाराधीन है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र मेन्टेबिल नहीं होने के कारण मय खर्चा खारिज होने योग्य है। सायलान क्लीन हैण्ड से माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं, इसलिए सायलान कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। सायलान ने उक्त प्रार्थना पत्र गैरसायलान को हरेशमेन्ट करने की गरज से पेश किया है, जो मय खर्चा खारिज होने योग्य है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि. प्रार्थना पत्र सायलान विरुद्ध गैरसायलान मय खर्चा खारिज करने के आदेश फरमावें।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी 2071–74 खाता संख्या 583 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ पेश किये।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया, वकील सायलान ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.04 19:06:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

ताफैसला मुकदमा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावे कि गैरसायलान वादीगण को अपने हिस्से की आराजी खसरा न0 469 रकबा 24 ऐयर स्थित ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ में जबरन कब्जा नहीं करे। तथा सायल के साथ झगडा फिसाद नहीं करे। सायलान के कब्जा उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। कब्जा कर रहनव्यय नहीं करे। तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करे। जिससे सायलान के हक हकूकों पर प्रतिकुल प्रभाव पडे। रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखने का निवेदन किया। वकील गैरसायलान ने अपने बहस कथन में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया गया और कहा गया कि आराजी खसरा नं. 469 रकबा 24 ऐयर वाके तन ग्राम हाडौली के पूर्व खातेदारान ने गैरसायलान को अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिया तथा अन्य खातेदारान ने गैरसायलान के हक में रजिस्ट्री करवा दी तथा गैरसायलान का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो गया लेकिन सायलान का पिता श्यामा गैरसायल सं. 1 के पक्ष में इकरारनामा लिखने के पश्चात् फौत हो गया तथा रजिस्ट्री नहीं हो सकी तथा सायलान के मन में अब बदयान्ति आ गई है, इसलिए गैरसायलान के हक में रजिस्ट्री नहीं करवा रहे हैं। गैरसायल सं. 1 सोहनसिंह ने सायलान के पक्ष में दावा बाबत् तकमील मुहायदा वउनवानी सोहनसिंह बनाम प्रेम कर रखा है जो न्यायालय ए.सी.जे.एण्ड.जे.एम. साहब सं. 1 हिण्डौन सिटी में विचाराधीन है, इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र मेन्टेबिल नहीं होने के कारण मय खर्चा खारिज होने योग्य है। सायलान क्लीन हैण्ड से माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं, इसलिए सायलान कोई रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। सायलान ने उक्त प्रार्थना पत्र गैरसायलान को हरेशमेन्ट करने की गरज से पेश किया है, जो मय खर्चा खारिज होने योग्य है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र सायलान विरुद्ध गैरसायलान मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी 2071–74 खाता संख्या 583 वाके ग्राम हाडौली तहसील सूरौठ के सायलान एवं गैरसायलान खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू–भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक कि उन सहखातेदारों के मध्य विधिवत रूप से बंटवारा होकर पृथक पृथक खाता व लगान कायम नहीं हो जावे।ऐसी स्थिति में एक सहखातेदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है।इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:06:57 IST
Reason: SelfAttested

सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है और ना ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में नजर आता है। बल्कि गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से फैंसला दावा पाबन्द किये जाने पर गैरसायलान जो कि विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार हैं कब्जा काश्त पर विपरीत प्रभाव पडने की पूर्ण सम्भावना प्रतीत होती है। प्रकरण में उक्त विवादित आराजी के संबंध में संलग्न दस्तावेज 2071–74 में स्थगन का नोट पूर्व में अंकित है। जिससे प्रकरण पृथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान अस्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायल राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 2-5-2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 2/5/25
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:06:57 IST
Reason: SelfAttested